**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**
**राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017**

पीठासीन अधिकारी:–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 112/16 वाद पत्र

**उनवान**

1–मैसर्स अम्बिका इण्डस्ट्रीज वार्ड नंबर 13 मकान नंबर एफ. 38 अम्बेश हॉस्पीटल के पास, आजाद नगर भीलवाडा जरिये पार्टनरस – विष्णु कुमार छीपा आत्मज सत्यनारायण छीपा निवासी वार्ड नंबर 13, मकान नंबर एफ. 38 अम्बेश हॉस्पीटल के पास, आजाद नगर भीलवाडा एवं राकेश कोठारी आत्मज श्यामलाल कोठारी निवासी मकान नंबर 7/80 वर्धमान कालोनी भीलवाडा
2–हुसेन बक्ष आत्मज अहमद बक्ष सो॰गर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**वादीगण**

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट**

उपस्थित
1. हरीश टेलर– **अधिवक्ता वादीगण**

# निर्णय

दिनांक 01.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोखुन्दा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी संख्या 2 हुसेन बक्ष के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या साबिक नंबर 24/1 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित थी। जो उसको बिलानाम आराजी संख्या मूल नंबर 24 से आवंटित होकर उसको बटा नम्बर 24/1 कायम करते हूए दर्ज की गई व उक्त आवंटन शुदा भूमि की वादी संख्या 2 को पासबुक जारी की गई, जिसमें आराजी संख्या 24/1 का तरमीमात किया हुआ साबिक नक्शा संलग्न है। इसी तरमीमात के अनुसार वादी संख्या 2 को कब्जा भी सिपुर्द किया गया। वर्तमान मे वक्त आवंटन से वादी संख्या 2 काबिज चला आ रहा है। उक्त आवंटन शुदा भूमि का पटवारी हल्का व तहसील के राजस्व रेकार्ड मे तरमीमात कि गई उसी अनुसार वादी संख्या 2 काबिज है और वादी संख्या 2 ने लाखो रूपये लगा कर इस भूमि को आबाद किया व कृषि योग्य बनाया व उस भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम मोखुन्दा का भी नवीन भू प्रबन्ध किया गया जिसमे वादी संख्या 2 कै खातेदारी अधिकार कि उक्त साबिक आराजी संख्या 24/1 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी संख्या 27 रकबा 1.08है0 कायम किये गये तथा साबिक आराजी संख्या 24 बिलानाम के आराजी संख्या 28 व 29 कायम किये गये जो वर्तमान मे बिलानाम दर्ज है। दोराने भू प्रबन्ध अधिकारियो व कर्मचारियो ने वादी संख्या 2 कि आराजी संख्या 24/1 के नवीन नम्बर 27 व रकबा 1.08 है0 तो सही कायम किये किन्तु जहॉ वादी संख्या 2 को राजस्व साबिक नक्शे मे तरमीमात करके जो कब्जा सिपुर्द किया गया व तरमीम शुदा नक्शा पासबुक के साथ दिया गया उसके अनुसार नवीन आराजी संख्या 27 को फिट नही करके वादी संख्या 2 के कब्जे कि भूमि के स्थान पर बिलानाम आराजी संख्या 28 को फिट कर दिया तथा आराजी संख्या 27 को इस आराजी के पूर्व दिशा कि ओर गैर कानूनी रूप से फिट कर तरमीमात कर दिया गया। जबकि वक्त आवंटन से कब्जा वर्तमान नक्शें के अनुसार बिलानाम आराजी संख्या 28 के 5 बीघा रकबे पर पूर्व दिशा की तरफ चला आ रहा है ओर उसी पर उसने लाखो रूपये खर्च कर दिये है जिसको वादी संख्या 2 पुनः दुरूस्त कराने का अधिकारी है। वादी संख्या 2 ने उक्त वर्णित उसकी नवीन आराजी संख्या 27 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 1.09.

2016 को वादी संख्या 1 मेसर्स अम्बिका इण्डस्ट्रीज को विक्रय का दिया तथा जहा वादी संख्या 2 साबिक तरमीमात के अनुसार काबिज था उसी जगह कब्जा वादी संख्या 1 को सिपुर्द का दिया और वक्त खरीद से वादी संख्या 1 उक्त भवन पर काबिज है। अर्थात वादी संख्या 1 का कब्जा भी वर्तमान नक्शै के अनुसार बिलानाम आराजी संख्या 28 पर 1.08 है0 पर पुरी तरह काबिज है व आराजी संख्या 27 वर्तमान मे पड़त पडी हुई है जिससे वादी संख्या 1 उक्त आराजी संख्या 27 रकबा 1.08 है0 का खातेदार काश्तकार हो गया है व राजस्व नक्शे कि दुरूस्ती की घोषणा करवा उसकी नवीन आराजी संख्या 27 को साबिक कब्जे अनुसार एवं मौके कि स्थिती अनुरूप तथा साबिक नक्शे मे तरमीमात के अनुसार फिट करवा राजस्व नक्शे कि दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को राजस्व नक्शे मे फेर बदल करने का या बिना किसी सक्षम न्यायालय के विधीक आदेश के राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। जिससे वादीगण नवीन राजस्व नक्शे मे दुरूस्ती करने के अधिकारी है। विकल्प के तोर पर बिलानाम आराजी संख्या 28 के 1.08 है0 रकबे पर जहा वादीगण काबिज चले आ रहे है उसको वादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कराया जाकर वादी संख्या 1 के नाम अंकित आराजी संख्या 27 को इसी एवज मे बिलानाम दर्ज करने की घोष्णात्मक डिक्री फरमाई जाने मे वादीगण को कोई आपति नही है। दिनांक 1.9.2016 को भूमि वादी संख्या 1 द्वारा क्रय कर लेने के पश्चात उक्त भूमि कि सीमा जानकारी करने के पश्चात वादीगण को इसकी जानकारी हूई। ओर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया प्रतिवादी गलत तरमीमात के आधार पर कभी भी वादीगण को बेदखल कर सकते है जिससे स्थाई निषेधाज्ञा कि डिक्री जारी फरमाई जावें। गलत तरमीमात कर देने से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा धारा 80 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया तथा वाद पत्र के समर्थन मे वादीगण ने अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये तथा वाद पत्र को डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.11.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत के भी नोटिस जारी किये गयें। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित है तथा प्रतिवादी भी उपस्थित है। प्रतिवादी कि ओर से दिनांक 22.05.2017 को मौका रिपोर्ट दि गई जो शामिल पत्रावली कि गई तथा पत्रावली वास्ते बहस व आदेश दिनांक 1.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम खाखरमाला मे रखी गई।

मेने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ साबिक जमाबन्दी साबिक नक्शा मिलान क्षेत्रफल हाल जमाबन्दी व नक्शा विक्रय पत्र की छायाप्रति पेश है तथा प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई उसका भी अवलोकन किया मौका रिपार्ट के अनुसार ग्राम मोखुन्दा कि साबिक आराजी संख्या 24/1 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदार हुसेन बक्ष पिता अहमत बक्ष सोरगर को आवंटित हूई थी उसके हाल आराजी नंबर 27 रकबा 1.08 है0 होकर दर्ज रेकार्ड है जिसको खातेदार हुसेन बक्ष पिता अहमद बक्ष सोरगर ने मेसर्स अम्बिका इण्डस्टीज को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 1.09.2016 को विक्रय कर दिया तथा उक्त आराजी नंबर पर वर्तमान मे क्रेता साबिक नक्शे के अनुसार काबिज है तथा सेटलमेन्ट से पूर्व के राजस्व नक्शे मे साबिक आराजी नंबर 24/1 को हाल आराजी नंबर 27 रकबा 0.07 है0, आराजी नंबर 28 रकबा 1.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है वादी का था जबकि सेटलमेन्ट के दोरान साबिक आराजी नंबर 24/1 को हाल आराजी नंबर 27 के स्थान पर तरमीमात कर दिया गया जो त्रूटि पूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है। साबिक आराजी नंबर 24/1 रकबा 5 बीघा को हाल आराजी नंबर 27 रकबा 1.08 है0 मे से 0.07 है0, आराजी नंबर 28 मे से 1.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 को संलग्न नक्शे मे हरी स्याही से अंकलन अनुसार वादी मेसर्स अम्बिका इण्डस्टीज के नाम पर एंव आराजी नंबर 27 मे से शेष रकबा 1.01 है को बिलानाम दर्ज किया जाना उचित है आराजी नंबर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज किया जाना उचित है। आराजी नंबर 28 बिलानाम का आंशिक भाग खनन लिज क्षेत्र एम. एल. नंबर 467/2007 मे आता है जिससे स्पष्ट हो जाता हे कि वादीगण के साबिक व हाल नक्शे मे दोराने सेटलमेन्ट गैर कानूनी रूप से परिवर्तन किया गया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था ऐसी स्थिती मे वादीगण के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं जिससे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

# आदेश

ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 24/1 रकबा 5 बीघा को हाल आराजी संख्या 27 रकबा 1.08है0 मे से 0.07 है0 व बिलानाम आराजी संख्या 28 मे से रकबा 1.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08है0 को मौका रिपोर्ट मे संलग्न नक्शे मे हरी स्याही से अंकन अनुसार वादी संख्या 1 मेसर्स अम्बिका इण्डस्ट्रीज के नाम पर एवं आराजी नंबर 27 मे से शेष रकबा 1.01 है0 को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करने का आदेश दिया जाकर उक्तानुसार नवीन राजस्व नक्शे मे तरमीमात करने का आदेश मौका रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

1/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा